

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ-3-2/2017/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12-9-2017

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
विमानन विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय :- विमानन विभाग के लिये मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।


\*\*\*

मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में विमानन विभाग को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/988/2017/नियम/चार दिनांक 25-7-2017 द्वारा वित्तीय अधिकार दिये गये थे। उक्त प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के क्र. 7-B में निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर प्रतिस्थापित किये जाते हैं :-

Sr. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Condition
1	2	3	4	5
7	<b>Hiring of Aircraft for use of VIP's :-</b>			
B.	For Hon'ble Governor, Hon'ble Chief Minister & Hon'ble Central Minister's	Commissioner Aviation	Full Powers	When state aircraft are not available

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकजी)  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 12-9-2017

पृष्ठा क्रमांक एफ-3-2/2017/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त विमानन संचालनालय भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

  
(अजय चौबे)  
उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग